संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2675337, Fax 0755-2558796
Email:- nojnnurm@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./या.प्र./प्रशि./7/17–18/9542 भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

प्रति, स्मरण पत्र, समय सीमा

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नगर परिषद,
मध्यप्रदेश।

विषय : – मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना–2018,से प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों जिनका पंजीयन संनिर्माण कर्ममार मण्डल में पंजीकृत है, उनको मण्डल से राशि रू0 1.00 लाख अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक 7899, भोपाल, दिनांक 19.7.2018. एवं पत्र क्रमांक 9354, भोपाल, दिनांक 24, अगस्त 2018.

संदर्भित पत्र के द्वारा यह लेख किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना अतंर्गत स्वीकृत/चिन्हित पात्र हितग्राहियों जिनका पंजीयन **संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना–2018,से प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों जिनका पंजीयन संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत है, उनको मण्डल की ओर से राशि रू0 1.00 लाख अतिरिक्त अनुदान** प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया संदर्भित पत्र में संलग्न राजपत्र में विस्तृत रूप से दी गई है।

उपरोक्त के संबंध में निम्न जानकारी उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन आपके निकाय द्वारा आज दिनांक तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः **दिनांक 5.09.2018,** तक उक्त जानकारी दर्शाई गई तालिका में अंकित कर निम्न ईमेल आईडी पर समय–सीमा में अनिवार्य रूप से उपब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र

निकाय का नाम	कर्मकार मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों की वार्ड वार कुल संख्या	कितने हितग्राहियों के प्रकरण जिला/संभागीय कार्या0कर्मकार मण्डल को प्रेषित किये गये है।	भेजे गये प्रकरणों के अन्तर्गत निकाय को प्राप्त राशि	राजपत्र प्रकाशित होने के पश्चात कितने नवीन हितग्राहियों का कर्मकार पंजीयन करवाया गया ।
1	2	3	4	5

उपरोक्तानुसार जानकारी की एक प्रति मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, के प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं0 आर–23, झोन–1, महाराणा प्रताप नगर,भोपाल, मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया में अगर कोई कठनाई आरही है तो संचालनालय को इस संबंध में अवगत करावें।

rchaturvedi@mpurban.gov.in ,
j.k.jain284@gmail.com
brjareliya@mpurban.gov.in

(विकास मिश्रा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश।

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2675337, Fax 0755-2558796
Email:- nojnnurm@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

क्र. / या.प्र. / प्रशि. / 7 / 17–18 / 9543 भोपाल, दिनांक 30अगस्त 2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. सचिव–उपश्रमायुक्त, मध्यप्रदेश संनिर्माण कर्मकार मण्डल, भोपाल का सूचनार्थ।
3. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें।

30/8/18

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश।

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2675337, Fax 0755-2558796
Email:- nojnnurm@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./या.प्र./प्रशि./7/17–18/9354 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018.

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नगर परिषद,
मध्यप्रदेश।

विषय : –मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना–2018,से प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों जिनका पंजीयन संनिर्माण कर्ममार मण्डल में पंजीकृत है, उनको मण्डल से राशि रू0 1.00 लाख अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक 7899, भोपाल, दिनांक 19.7.2018.

————//0//————

संदर्भित पत्र के द्वारा यह लेख किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना अतंर्गत स्वीकृत/चिन्हित पात्र हितग्राहियों जिनका **पंजीयन संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत है, उनको मण्डल की ओर से राशि रू0 1.00 लाख अतिरिक्त अनुदान** प्रधानमंत्री आवास योजना के **AHP घटक** में भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया संदर्भित पत्र में संलग्न राजपत्र में विस्तृत रूप से दी गई है।

उपरोक्त के संबंध में निम्न जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध करावे एवं यह भी सुनिश्चित करें की उक्त जानकारी प्रतिमाह प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति पत्रक के साथ प्रस्तुत करें।

(प्रपत्र)

नगरीय निकाय का नाम	कर्मकार मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों की वार्ड वार सूची /कुल संख्या सहित	कितने हितग्राहियों के प्रकरण जिला/संभागीय कार्या0 संनिर्माण कर्मकार मण्डल को प्रेषित किये गये है।	प्रकरणों के अन्तर्गत निकाय को प्राप्त राशि हितग्राही वार संख्या	राजपत्र प्रकाशित होने के पश्चात कितने नवीन हितग्राहियों का कर्मकार मण्डल में पंजीयन करवाया गया ।
1	2	3	4	5

अतः प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी, के **AHP घटक** के पात्र हितग्राहियों की सूची जो की मण्डल में पंजीकृत है एवं जिनकों लाभ देने के लिये कर्मकार मण्डल में सूची भेजी जानी है उक्त जानकारी की एक प्रति सचिव एवं उपश्रमायुक्त मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, के प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं0 आर–23, झोन–1, महाराणा प्रताप नगर,भोपाल, मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो संचालनालय को इस संबंध में अवगत करावें।

24/08/18

(विकास मिश्रा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश।

ालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2675337, Fax 0755-2558796
Email:- nojnnurm@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./या.प्र./प्रशि./7/17–18/3355 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018.

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरी प्रशासन एवं विकास, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, उपश्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश संनिर्माण कर्मकार मण्डल, भोपाल को सूचनार्थ।
3. समस्त संयुक्त, संचालक, संभागीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को सूचनार्थ।
4. समस्त, अधीक्षण/कार्यपालन यंत्री संभागीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को सूचनार्थ।

24/8/18

(विकास मिश्रा)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश।

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0, भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2554080 Fax 0755-2554080
Email:- anandsingh@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/याँ0प्र0/07/2018/7879 भोपाल, दिनांक ..19/..7../2018

प्रति

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद/नगर परिषद
   मध्यप्रदेश

विषय–मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018 से प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राही जिनका पंजीयन संनिर्माण कर्मकार मण्डल मे है, उनको मण्डल से राशि रु. 1.00 लाख अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।

संदर्भ–मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 13.07.2018

—000—

उपरोक्त संलग्न संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करें, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत, चिन्हित पात्र पाये गये हितग्राही जिनका पंजीयन संनिर्माण कर्मकार मण्डल मे है, उन्हे मण्डल की तरफ से प्रत्येक हितग्राही को राशि रु. 1.00 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख है। हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के किसी भी घटक का हो, उसे लाभ प्राप्त होगा। हितग्राही को अनुदान कैसे मिलेगा इसकी प्रकिया भी राजपत्र मे दी गयी है।

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों मे प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है, आप सभी ऐसे हितग्रहियों की सूची तैयार कर (राजपत्र मे दी गयी प्रकिया अनुसार) जिला श्रम अधिकारी को प्रस्तुत कर संयुक्त संचालक तथा संचालनालय को अवगत कराते हुये तत्काल हितग्राही को अनुदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(संलग्न – राजपत्र दिनांक 13.07.2018)

(विकास मिश्रा) 19.7.18
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/यॉ0प्र0/07/2018/7880 भोपाल, दिनांक ..19/..7../2018

प्रतिलिपि–

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला परियोजना अधिकारी,जिला शहरी विकास अभिकरण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला श्रम अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. टीम लीडर एजिस इण्डिया कंसल्टिंग प्रा. लि. (पीएमएवाय) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त 19.7.18
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2018

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म-2018, 4593.— भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (2) सहपठित म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम 2002 के नियम 277, 278 एवं 279 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित योजना "मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास(नगरीय) योजना 2013" में उल्लेखित प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा विशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को एतद द्वारा निरस्त करता है तथा "मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018" अधिसूचित करता है :-

"मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018"

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना- (1) यह योजना "मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना 2018" कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के नगरीय क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(4) यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं पर लागू होगी।

(ख) परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) "अधिनियम" – का आशय "भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" से अभिप्रेत है।

(2) "नियम" – का आशय "म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002" से अभिप्रेत है।

(3) "बोर्ड या मण्डल" – से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित "म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" से अभिप्रेत है।

(4) "सचिव" से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त "मण्डल के सचिव" से अभिप्रेत है।

(5) "हिताधिकारी" से आशय "समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों" से अभिप्रेत है।

(6) इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जिन्हें अधिनियम या नियम में परिभाषित किया गया है वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

(ग) योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता –

पात्रता :–

(1) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में पंजीयन उक्त योजना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के पूर्व हुआ है वे योजना में हितलाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन उक्त योजना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात हुआ है, वे पंजीयन दिनांक से एक वर्ष उपरांत योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(घ) योजना का विवरण एवं हितलाभ :–

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा हितग्राही को अनुदान प्रदान किया जाता है।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पात्र पाये गये हितग्राहियों में से यदि कोई हितग्राही पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो उसे केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से रूपये 01 लाख सहायता राशि के रूप में मण्डल से नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित करने वाले नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्रदान किया जायेगा।

(ङ) योजनांतर्गत सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया –

(1) **योजनांतर्गत** पात्रता तथा आवेदन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुरूप होगी।

(2) पात्र पाये गये पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची उनके यूनिक पोर्टल कोड (पंजीयन क्रमांक) के साथ एकजाई रूप से नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित जिले की सूची प्रतिमाह जिला श्रम कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, जिसके आधार पर जिला श्रम कार्यालय द्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु प्रति हितग्राही रूपये 01 लाख दर से सहायता राशि योजना संचालित करने वाले विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग को ई.पी.ओ. पद्धति के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

(3) **योजना के अन्तर्गत** चयन प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुरूप होगी तथा पंजीकृत हितग्राही निर्माण श्रमिक का चयन भी नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जावेगा।

इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि मात्र पंजीकृत हितग्राही निर्माण श्रमिक हेतु ही उपयोग में लाई जायेगी।

(च) **पदाभिहित अधिकारी–** सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी।

(छ) **विसंगति का निवारण–** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

एल. पी. पाठक, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2018

क्र. 695-522-पीएस-श्रम-2018.—इस विभाग के द्वारा दिनांक 17 मई, 2018, द्वारा निम्नानुसार योजनाएं स्वीकृत करते हुये राजपत्र में अधिसूचित की गई थी:—

(1) मुख्यमंत्री जनकल्याण (अन्त्येष्टि सहायता) संबल योजना, 2018

(2) मुख्यमंत्री जनकल्याण (अनुग्रह राशि भुगतान) संबल योजना, 2018

(3) मुख्यमंत्री जनकल्याण (उपकरण अनुदान) संबल योजना, 2018

2. श्रम विभाग के परिपत्र क्र. 589-पीएस-श्रम-2018 दिनांक 29 मई 2018 द्वारा उक्त तीनों योजनाओं के स्थान पर "मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, 2018" स्वीकृत की गयी है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 17 मई 2018 को जारी उपर्युक्तानुसार योजनाएं निरस्त करता है.